



एनवीडिया ने किया रिलायंस के साथ करार

पृष्ठ 1 का शेप

हुआंग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब छह साल पहले इसकी परिकल्पना की थी। उन्होंने कहा, 'छह साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे एआई पर अपने मंत्रिमंडल को संबोधित करने के लिए कहा था। मैं हैरान था क्योंकि किसी सरकार ने पहली बार मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। मोदीजी ने कहा कि भारत को अपना एआई खुद बना चाहिए, न कि आउटसोर्स करना चाहिए। आपको इंटेलिजेंस आयात करने के लिए डेटा निर्यात नहीं करना चाहिए।' हुआंग ने कहा कि भारत बड़े पैमाने पर कंप्यूटिंग दक्षता विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत में साल 2024 के अंत तक कंप्यूटिंग दक्षता एक साल पहले के मुकाबले करीब 20 गुना अधिक होगी। उन्होंने कहा, 'यहां एआई इंटेलिजेंस तैयार करने के लिए सबसे पहले बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान देना होगा। हमने यहां बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए योटा, इंईई, टाटा कम्प्यूटिंगसेंस और रिलायंस के साथ करार की घोषणा की है।'

सवाल जवाब

इंटेलिजेंस के निर्यात में भारत की बड़ी भूमिका

एनवीडिया के संस्थापक और मुख्य कार्य अधिकारी येन्सन हुआंग का मानना है कि इंटेलिजेंस के निर्यात में भारत की बहुत बड़ी भूमिका है। संवाददाता सम्मेलन में शिवानी शिंदे से बातचीत में उन्होंने रिलायंस संग साझेदारी, टीएसएमसी से घरे अपने संबंधों में विविधता लाने और बड़ी संख्या में जनता के लिए एआई को सुलभ बनाने पर बातचीत की। मुख्य अंशः



रिलायंस के साथ साझेदारी पर आप क्या कहेंगे ?
हम तीन चीजें करेंगे। हम एआई कंप्यूटर के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने जा रही है और यह काफी बड़े पैमाने पर किया जाएगा। हमने भले अभी तक इसकी घोषणा नहीं की है, लेकिन यह काफी बड़े स्तर पर होगा। दूसरा, हम एक नवाचार केंद्र शुरू करने जा रहे हैं ताकि एनवीडिया की तकनीक का इस्तेमाल एआई प्लेटफॉर्म बनाने के लिए रिलायंस इंजीनियर कर सके। तीसरा, ऐसे ऐप्लिकेशन तैयार करेंगे, जिसे रिलायंस भारत में अपने ग्राहकों को

पेश कर सके। हिंदी प्लैटफॉर्म पर हम पहले से ही कई कंपनियों के साथ साझेदारी में काम कर रहे हैं।

चांचा है कि एनवीडिया और टीएसएमसी की साझेदारी तनावपूर्ण हो रही है और एनवीडिया किसी और कंपनी संग काम कर सकती है ?
टीएसएमसी और एनवीडिया अभी ब्लैकवेल सिस्टम तैयार करने में काफी व्यस्त हैं और इसका पूरा उत्पादन होना है। टीएसएमसी की असाधारण दक्षता और स्तर के साथ-साथ उनकी प्रबंधन टीम के

साथ मिलकर काम करने और ढाई दशक के साथ के बिना इन ब्लैकवेल सिस्टम तैयार करना, जिनमें सात अलग-अलग चिप शामिल हैं संभव ही नहीं है-इसलिए, टीएसएमसी एक असाधारण कंपनी है और हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे लिए विविधता लाना भी काफी जरूरी है। निश्चित तौर पर हमारे पास सैमसंग और इंटेल के साथ भी काम करने का विकल्प है और हम अपना मूल्यांकन करना भी बरकरार रखेंगे।

बड़ी संख्या में जनता के लिए एआई को एनवीडिया कैसे सुलभ बनाएगी ? खासकर भारत जैसे देशों में, जो कीमत के प्रति काफी संवेदनशील है ?
टोकन यानी एआई की कीमत एक साल में 100 गुना तक कम हो गई है। इसका कारण यही है कि हमने अनुमान की प्रक्रिया बदलने के लिए कई सारे एप्लोरिडम तैयार किए हैं। दूसरा, कई सारी ऐसी प्रौद्योगिकी है जिसका आविष्कार

सॉल लैंग्वेज मॉडल के लिए किया गया है। तीसरा, एनवीडिया का रोडमैप काफी तेज है और एपीयोर से लेकर हूपर और ब्लैकवेल तक हम हर साल एक नई प्रौद्योगिकी पेश कर रहे हैं और प्रदर्शन दोगुना कर रहे हैं, जो लागत को आधा अथवा एक तिहाई करने के बराबर है।

भारत के विनिर्माण के संबंध में आप क्या कहेंगे ?
चिप डिजाइन में भारत पहले से ही विश्व स्तरीय है। एनवीडिया के चिप बेंगलूर में डिजाइन किए जाते हैं। हमारा बेंगलूर, पुणे और हैदराबाद के डिजाइन केंद्रों पर चिप का डिजाइन होता है। भारत पहले ही एआई विकसित कर रहा है। हमारा एआई बेंगलूर, पुणे और हैदराबाद में विकसित हुआ है। एनवीडिया का एक तिहाई हिस्सा अथवा इससे ज्यादा हिस्सा भारत में है। भारत में बौद्धिक पूंजी मौजूद है। यही कारण है कि विश्व के इतने क्षमता केंद्र यहां हैं। बॉलमार्ट, मर्सिडीज, सीमेंस, कमिंस जैसी कंपनियों के साथ हमारी बेहतरीन साझेदारी है।

देश में एआई कंप्यूट क्षमताएं अगले साल जून तक

अजिंक्य कावले मुंबई, 24 अक्टूबर

केंद्र सरकार का महत्वाकांक्षी भारत एआई मिशन आखिरकार शुरू हो जाएगा और एआई कंप्यूट क्षमताएं वर्ष 2025 के मध्य तक उपलब्ध होने लेंगीं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने आज यह जानकारी दी। अगस्त में सरकार ने 10,372 करोड़ रुपये के भारत एआई मिशन के तहत क्वाड्रड पर आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) सेवाएं उपलब्ध कराने वाली कंपनियों का पैलन बनाने के लिए बोलियां आमंत्रित की थीं। कंपनियों में शामिल होने की प्रक्रिया साल 2024 के अखिर तक पूरी होने की उम्मीद है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में आतिथ्य सचिव अभिषेक सिंह ने कहा, 'निविदा जारी किए जाने के बाद हमने ऐसी विभिन्न कंपनियों के बारे में सूना है जो एआई कंप्यूट के बुनियादी ढांचे में निवेश करनी हो सकें। हमें यह प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी होने की उम्मीद है। इससे अगले करीब छह महीने में हम भारत में कंप्यूट की उपलब्धता देखेंगे।' सिंह मुंबई में एनवीडिया एआई समिट में बोल रहे थे।

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड सर्वाधिक अतिविकास 2002 की शान 13(2) के अंतर्गत मॉड्य सुचना

पंजीकृत कार्यालय: 27 शीवानी, सी-27, जी-ब्लॉक, क्लब हाउस कॉम्प्लेक्स, मॉड (ई), मुंबई-400051

आप निम्न वर्गित अक्रमांकित और सह-अक्रमांकितों में बैंक/विशेष संस्थान से अक्रमांकित प्राप्त किए हैं, जिन्हें अधिक विवरण के रूप में यहाँ नीचे आगे की अलग सूचीमें (प्रतिनिधि) के अन्तर्गत प्राप्त किया गया है, और आप उनका प्रतिपूजन करने में तैयार कर सकते हैं। आपके द्वारा प्राप्त किए जाने के अन्तर्गत, आपके अक्रमांकित को अतिविकास परिसंपत्तियों के रूप में अतिविक्रय कर दिया गया है। अक्रमांकित को अन्तर्गत प्रत्येक अतिविक्रय परिसंपत्तियों और वित्त, जमाने, देवदारणी, पुराने के साथ नहीं करनी चाहिए। अक्रमांकितों के प्रत्येक अतिविक्रय द्वारा अक्रमांकितों को अतिविक्रय कर दिया गया है, और आप बैंक से उनका अतिविक्रय के अनुदानपरिपूरण और बचपान परामर्शदाता की सहायता के बिना, विशेष परिसंपत्तियों के प्रतिपूजनके एवं पुनर्निर्माण साहित्यिक हित प्रदान अधिनियम 2002 (अतिविक्रय) की धारा 13(2) के अंतर्गत प्राप्त सुचना निर्यात की है, जिसकी विवरणसूची को प्रतिनिधि हित (प्रदान) अधिनियम 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार, आपको सूचना की वैकल्पिक प्राप्ति हो इस रूप में तथा उस उत्पाद द्वारा, यहाँ इस विधान के अंतर्गत प्रकाशित किया जा रहा है। अक्रमांकितों, सह-अक्रमांकितों, प्रतिनिधियों, बचपान, परामर्शदाता, धारा 13(2) के अंतर्गत प्रतिगत मांग सूचना तथा उसके अंतर्गत अग्रणीकरण विधि दिखे गये हैं।

अक्रमांकित / सह-अक्रमांकितों के नाम तथा उनके मांग दावेदार के नाम	अग्रणीकरण के विवरण
1. अक्रमांकित का क्रम: 2. एआरएफडी की तिथि	3. अग्रणीकरण तिथि
4. अग्रणीकरण तिथि	5. अग्रणीकरण तिथि

श्री दिवेश सिंह चव्हा, श्री देवेंद्र चव्हा के पुत्र और श्री नीती माता देवी की विधवा शिव चव्हा की पत्नी, केना का नाम: 68 न्यू प्रकाश पुरी रोड, सेक्टर-4, मुम्बई, महाराष्ट्र-400021, भारत और केना का नाम चव्हा पर भी है। अग्रणीकरण तिथि: 09/09/2024, भारत और केना का नाम चव्हा पर भी है। 110045 और केना का नाम चव्हा पर भी है। पते: नंबर-30, 3 अटलबिहार, एच. नं. 81/6/1, 81/6/2, 81/6/3, 81/6/4, 81/6/5, 81/6/6, 81/6/7, 81/6/8, 81/6/9, 81/6/10, 81/6/11, 81/6/12, 81/6/13, 81/6/14, 81/6/15, 81/6/16, 81/6/17, 81/6/18, 81/6/19, 81/6/20, 81/6/21, 81/6/22, 81/6/23, 81/6/24, 81/6/25, 81/6/26, 81/6/27, 81/6/28, 81/6/29, 81/6/30, 81/6/31, 81/6/32, 81/6/33, 81/6/34, 81/6/35, 81/6/36, 81/6/37, 81/6/38, 81/6/39, 81/6/40, 81/6/41, 81/6/42, 81/6/43, 81/6/44, 81/6/45, 81/6/46, 81/6/47, 81/6/48, 81/6/49, 81/6/50, 81/6/51, 81/6/52, 81/6/53, 81/6/54, 81/6/55, 81/6/56, 81/6/57, 81/6/58, 81/6/59, 81/6/60, 81/6/61, 81/6/62, 81/6/63, 81/6/64, 81/6/65, 81/6/66, 81/6/67, 81/6/68, 81/6/69, 81/6/70, 81/6/71, 81/6/72, 81/6/73, 81/6/74, 81/6/75, 81/6/76, 81/6/77, 81/6/78, 81/6/79, 81/6/80, 81/6/81, 81/6/82, 81/6/83, 81/6/84, 81/6/85, 81/6/86, 81/6/87, 81/6/88, 81/6/89, 81/6/90, 81/6/91, 81/6/92, 81/6/93, 81/6/94, 81/6/95, 81/6/96, 81/6/97, 81/6/98, 81/6/99, 81/6/100, 81/6/101, 81/6/102, 81/6/103, 81/6/104, 81/6/105, 81/6/106, 81/6/107, 81/6/108, 81/6/109, 81/6/110, 81/6/111, 81/6/112, 81/6/113, 81/6/114, 81/6/115, 81/6/116, 81/6/117, 81/6/118, 81/6/119, 81/6/120, 81/6/121, 81/6/122, 81/6/123, 81/6/124, 81/6/125, 81/6/126, 81/6/127, 81/6/128, 81/6/129, 81/6/130, 81/6/131, 81/6/132, 81/6/133, 81/6/134, 81/6/135, 81/6/136, 81/6/137, 81/6/138, 81/6/139, 81/6/140, 81/6/141, 81/6/142, 81/6/143, 81/6/144, 81/6/145, 81/6/146, 81/6/147, 81/6/148, 81/6/149, 81/6/150, 81/6/151, 81/6/152, 81/6/153, 81/6/154, 81/6/155, 81/6/156, 81/6/157, 81/6/158, 81/6/159, 81/6/160, 81/6/161, 81/6/162, 81/6/163, 81/6/164, 81/6/165, 81/6/166, 81/6/167, 81/6/168, 81/6/169, 81/6/170, 81/6/171, 81/6/172, 81/6/173, 81/6/174, 81/6/175, 81/6/176, 81/6/177, 81/6/178, 81/6/179, 81/6/180, 81/6/181, 81/6/182, 81/6/183, 81/6/184, 81/6/185, 81/6/186, 81/6/187, 81/6/188, 81/6/189, 81/6/190, 81/6/191, 81/6/192, 81/6/193, 81/6/194, 81/6/195, 81/6/196, 81/6/197, 81/6/198, 81/6/199, 81/6/200, 81/6/201, 81/6/202, 81/6/203, 81/6/204, 81/6/205, 81/6/206, 81/6/207, 81/6/208, 81/6/209, 81/6/210, 81/6/211, 81/6/212, 81/6/213, 81/6/214, 81/6/215, 81/6/216, 81/6/217, 81/6/218, 81/6/219, 81/6/220, 81/6/221, 81/6/222, 81/6/223, 81/6/224, 81/6/225, 81/6/226, 81/6/227, 81/6/228, 81/6/229, 81/6/230, 81/6/231, 81/6/232, 81/6/233, 81/6/234, 81/6/235, 81/6/236, 81/6/237, 81/6/238, 81/6/239, 81/6/240, 81/6/241, 81/6/242, 81/6/243, 81/6/244, 81/6/245, 81/6/246, 81/6/247, 81/6/248, 81/6/249, 81/6/250, 81/6/251, 81/6/252, 81/6/253, 81/6/254, 81/6/255, 81/6/256, 81/6/257, 81/6/258, 81/6/259, 81/6/260, 81/6/261, 81/6/262, 81/6/263, 81/6/264, 81/6/265, 81/6/266, 81/6/267, 81/6/268, 81/6/269, 81/6/270, 81/6/271, 81/6/272, 81/6/273, 81/6/274, 81/6/275, 81/6/276, 81/6/277, 81/6/278, 81/6/279, 81/6/280, 81/6/281, 81/6/282, 81/6/283, 81/6/284, 81/6/285, 81/6/286, 81/6/287, 81/6/288, 81/6/289, 81/6/290, 81/6/291, 81/6/292, 81/6/293, 81/6/294, 81/6/295, 81/6/296, 81/6/297, 81/6/298, 81/6/299, 81/6/300, 81/6/301, 81/6/302, 81/6/303, 81/6/304, 81/6/305, 81/6/306, 81/6/307, 81/6/308, 81/6/309, 81/6/310, 81/6/311, 81/6/312, 81/6/313, 81/6/314, 81/6/315, 81/6/316, 81/6/317, 81/6/318, 81/6/319, 81/6/320, 81/6/321, 81/6/322, 81/6/323, 81/6/324, 81/6/325, 81/6/326, 81/6/327, 81/6/328, 81/6/329, 81/6/330, 81/6/331, 81/6/332, 81/6/333, 81/6/334, 81/6/335, 81/6/336, 81/6/337, 81/6/338, 81/6/339, 81/6/340, 81/6/341, 81/6/342, 81/6/343, 81/6/344, 81/6/345, 81/6/346, 81/6/347, 81/6/348, 81/6/349, 81/6/350, 81/6/351, 81/6/352, 81/6/353, 81/6/354, 81/6/355, 81/6/356, 81/6/357, 81/6/358, 81/6/359, 81/6/360, 81/6/361, 81/6/362, 81/6/363, 81/6/364, 81/6/365, 81/6/366, 81/6/367, 81/6/368, 81/6/369, 81/6/370, 81/6/371, 81/6/372, 81/6/373, 81/6/374, 81/6/375, 81/6/376, 81/6/377, 81/6/378, 81/6/379, 81/6/380, 81/6/381, 81/6/382, 81/6/383, 81/6/384, 81/6/385, 81/6/386, 81/6/387, 81/6/388, 81/6/389, 81/6/390, 81/6/391, 81/6/392, 81/6/393, 81/6/394, 81/6/395, 81/6/396, 81/6/397, 81/6/398, 81/6/399, 81/6/400, 81/6/401, 81/6/402, 81/6/403, 81/6/404, 81/6/405, 81/6/406, 81/6/407, 81/6/408, 81/6/409, 81/6/410, 81/6/411, 81/6/412, 81/6/413, 81/6/414, 81/6/415, 81/6/416, 81/6/417, 81/6/418, 81/6/419, 81/6/420, 81/6/421, 81/6/422, 81/6/423, 81/6/424, 81/6/425, 81/6/426, 81/6/427, 81/6/428, 81/6/429, 81/6/430, 81/6/431, 81/6/432, 81/6/433, 81/6/434, 81/6/435, 81/6/436, 81/6/437, 81/6/438, 81/6/439, 81/6/440, 81/6/441, 81/6/442, 81/6/443, 81/6/444, 81/6/445, 81/6/446, 81/6/447, 81/6/448, 81/6/449, 81/6/450, 81/6/451, 81/6/452, 81/6/453, 81/6/454, 81/6/455, 81/6/456, 81/6/457, 81/6/458, 81/6/459, 81/6/460, 81/6/461, 81/6/462, 81/6/463, 81/6/464, 81/6/465, 81/6/466, 81/6/467, 81/6/468, 81/6/469, 81/6/470, 81/6/471, 81/6/472, 81/6/473, 81/6/474, 81/6/475, 81/6/476, 81/6/477, 81/6/478, 81/6/479, 81/6/480, 81/6/481, 81/6/482, 81/6/483, 81/6/484, 81/6/485, 81/6/486, 81/6/487, 81/6/488, 81/6/489, 81/6/490, 81/6/491, 81/6/492, 81/6/493, 81/6/494, 81/6/495, 81/6/496, 81/6/497, 81/6/498, 81/6/499, 81/6/500, 81/6/501, 81/6/502, 81/6/503, 81/6/504, 81/6/505, 81/6/506, 81/6/507, 81/6/508, 81/6/509, 81/6/510, 81/6/511, 81/6/512, 81/6/513, 81/6/514, 81/6/515, 81/6/516, 81/6/517, 81/6/518, 81/6/519, 81/6/520, 81/6/521, 81/6/522, 81/6/523, 81/6/524, 81/6/525, 81/6/526, 81/6/527, 81/6/528, 81/6/529, 81/6/530, 81/6/531, 81/6/532, 81/6/533, 81/6/534, 81/6/535, 81/6/536, 81/6/537, 81/6/538, 81/6/539, 81/6/540, 81/6/541, 81/6/542, 81/6/543, 81/6/544, 81/6/545, 81/6/546, 81/6/547, 81/6/548, 81/6/549, 81/6/550, 81/6/551, 81/6/552, 81/6/553, 81/6/554, 81/6/555, 81/6/556, 81/6/557, 81/6/558, 81/6/559, 81/6/560, 81/6/561, 81/6/562, 81/6/563, 81/6/564, 81/6/565, 81/6/566, 81/6/567, 81/6/568, 81/6/569, 81/6/570, 81/6/571, 81/6/572, 81/6/573, 81/6/574, 81/6/575, 81/6/576, 81/6/577, 81/6/578, 81/6/579, 81/6/580, 81/6/581, 81/6/582, 81/6/583, 81/6/584, 81/6/585, 81/6/586, 81/6/587, 81/6/588, 81/6/589, 81/6/590, 81/6/591, 81/6/592, 81/6/593, 81/6/594, 81/6/595, 81/6/596, 81/6/597, 81/6/598, 81/6/599, 81/6/600, 81/6/601, 81/6/602, 81/6/603, 81/6/604, 81/6/605, 81/6/606, 81/6/607, 81/6/608, 81/6/609, 81/6/610, 81/6/611, 81/6/612, 81/6/613, 81/6/614, 81/6/615, 81/6/616, 81/6/617, 81/6/618, 81/6/619, 81/6/620, 81/6/621, 81/6/622, 81/6/623, 81/6/624, 81/6/625, 81/6/626, 81/6/627, 81/6/628, 81/6/629, 81/6/630, 81/6/631, 81/6/632, 81/6/633, 81/6/634, 81/6/635, 81/6/636, 81/6/637, 81/6/638, 81/6/639, 81/6/640, 81/6/641, 81/6/642, 81/6/643, 81/6/644, 81/6/645, 81/6/646, 81/6/647, 81/6/648, 81/6/649, 81/6/650, 81/6/651, 81/6/652, 81/6/653, 81/6/654, 81/6/655, 81/6/656, 81/6/657, 81/6/658, 81/6/659, 81/6/660, 81/6/661, 81/6/662, 81/6/663, 81/6/664, 81/6/665, 81/6/666, 81/6/667, 81/6/668, 81/6/669, 81/6/670, 81/6/671, 81/6/672, 81/6/673, 81/6/674, 81/6/675, 81/6/676, 81/6/677, 81/6/678, 81/6/679, 81/6/680, 81/6/681, 81/6/682, 81/6/683, 81/6/684, 81/6/685, 81/6/686, 81/6/687, 81/6/688, 81/6/689, 81/6/690, 81/6/691, 81/6/692, 81/6/693, 81/6/694, 81/6/695, 81/6/696, 81/6/697, 81/6/698, 81/6/699, 81/6/700, 81/6/701, 81/6/702, 81/6/703, 81/6/704, 81/6/705, 81/6/706, 81/6/707, 81/6/708, 81/6/709, 81/6/710, 81/6/711, 81/6/712, 81/6/713, 81/6/714, 81/6/715, 81/6/716, 81/6/717, 81/6/718, 81/6/719, 81/6/720, 81/6/721, 81/6/722, 81/6/723, 81/6/724, 81/6/725, 81/6/726, 81/6/727, 81/6/728, 81/6/729, 81/6/730, 81/6/731, 81/6/732, 81/6/733, 81/6/734, 81/6/735, 81/6/736, 81/6/737, 81/6/738, 81/6/739, 81/6/740, 81/6/741, 81/6/742, 81/6/743, 81/6/744, 81/6/745, 81/6/746, 81/6/747, 81/6/748, 81/6/749, 81/6/750, 81/6/751, 81/6/